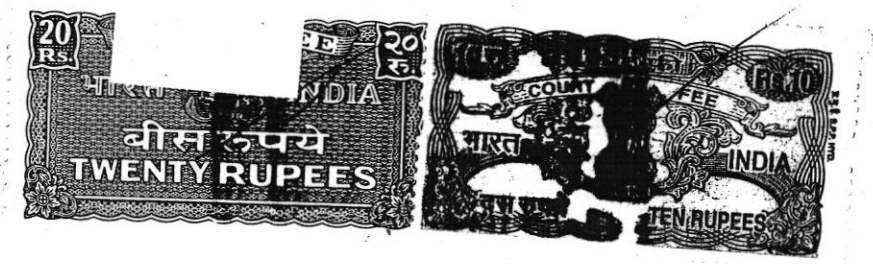

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र – आर. पी.बी.आर / 2017

PBR/निगरानी/रतलाम/भू०रा/2017/1759

श्री कुंवरसिंह कुशवाह अभि० द्वारा आज दि. 14-6-17 को प्रस्तुत
14-6-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

संतोष पिता भागीरथ जी जाति पाटीदार

निवासी– ग्राम बड़ायला माताजी तह. पिपलौदा जिला रतलाम

....आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

दरीयाबबाई पति घनश्याम जी पाटीदार

निवासी– रांकोदा तह. पिपलौदा जिला रतलाम म.प्र. ....अनावेदक / प्रत्यर्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.सं. 1959

तहसील न्यायालय पिपलौदा के प्रकरण क्र 8अ70 / 11–12 में आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन आदेश 16 नियम 1 सी.पी.सी. को दिनांक 25 / 05 / 2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षणयाचिका प्रस्तुत। याचिका नियत समयावधि एवं निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत।

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रस्तुत है :–

1. यह है कि अनावेदक दरीयाबबाई द्वारा दिनांक 10 / 09 / 2012 को एक आवेदन 250 म.प्र.भु.रा.सं. 1959 के तहत प्रस्तुत कर भूमि सर्वे न. 416 / 1 / 2 रकबा 2.927 हे. के सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर कब्जे की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया था। अनावेदक द्वारा जिस सर्वे न. 416 / 1 / 2 का नियम विरूद्ध उक्त सर्वे न. का सीमांकन कराकर कब्जे की कार्यवाही प्रस्तुत की गई उक्त कार्यवाही में वर्तमान प्रकरण पर अनावेदक दरियाबाई की साक्ष पुरी हो चुकी है तथा उक्त प्रकरण में आवेदक को अपनी साक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशीत किया गया था। जिस पर से आवेदक याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दिनांक 13 / 04 / 2017 को आदेश 16 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर दिनांक 24 / 06 / 2012 को तात्कालिन सहायक भू–अधिक्षक बाबूलाल खराड़ी तात्कालीन राजस्व निरिक्षक भीमसिंह खराड़ी एवं तात्कालिन मौजा पटवारी दीपक मेहता की उपस्थिती में

संतोष

कुंवरसिंह कुशवाह (22 3 ओके)
14/6/17

XXIX(a)-BR(H)-11

(39)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/1759

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	